

मंडी हलका
ईशर दर्ज है कि खेतवां का खोरे में
जाम अंतर्गत है। अतः खेतदार का नाम ईशर के बजाय
ईशर दर्ज किया जाना उचित है।

[Handwritten signature]

11/06/18
E.L.R-21/9/1975

रिपोर्ट पटवारी

रिपोर्ट पटवारी हलका ऊखलिया व ई.ए.ए. टोंकरवाड के मंडी हलका
ईशर के बजाय ईशर दर्ज किया जाने की मांग
की जाती है।

तहसीलदार (भू. अ.)
हुरडा जिला भीलवाडा

दिनांक 06.06.2018

रिपोर्ट पटवारी हलका ऊखलिया, भू-अभिलेख निरीक्षक टोंकरवाड एवं तहसीलदार हुरडा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कुशालपुरा की जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 04 की खातेदार ईशर पिता उदा जाट के बजाय ईशर पिता उदा जाट दर्ज कराना चाहा किन्तु प्रार्थी के द्वारा ईशर पिता उदा जाट के स्थान ईशर पिता उदा जाट करावाया जाने बाबत समुचित आधार (जमाबन्दी) नही होने से मैं न्यायालय प्रार्थी का नाम दुरुस्त किया जाना उचित नही समझता है तदनुसार यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे। आदेश आज दिनांक 06.06.2018 को खुली लोक अदालत क्रैम्प कोर्ट ऊखलिया पर सुनाया गया।



(नन्दकिशोर राजोरा)
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
गुलाबपुरा जिला भीलवाडा